संख्या-06/2019/315/36-2-19-91/2011

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ

श्रम अनुभाग-02 **लखनऊ, दिनांक : 01 मार्च, 2019**

विषय : "महात्मा गांधी पेंशन योजना" के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों को "प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना" (PMSYM) से आच्छादित करने हेतु संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8934-35/भ0नि0बो0-(486)-2019 दिनांक 28-02-2019 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 22-02-2019 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत पात्र श्रमिकों को "प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM)" से आवर्त किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है, जिसके क्रम में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 41वीं बैठक दिनांक 25-02-2019 में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से आवर्त करने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में बोर्ड द्वारा संचालित महात्मा गांधी पेंशन योजना में निम्नवत संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उक्त पर अनापत्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है :-

1- <u>पात्रता-</u>

बोर्ड के पंजीकृत 18-40 आयु वर्ग के सभी श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के अन्तर्गत आच्छादित करने का प्रस्ताव है। उक्त 18-40 आयु वर्ग के सभी श्रमिकों के संबंध में श्रमिक के हिस्से का मासिक अशंदान नियमानुसार बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा। जबकि समतुल्य धनराशि भारत सरकार द्वारा भुगतान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- **<u>पंजीयन प्रक्रिया-</u>**

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा 18 से 40 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों जिनका अशंदान जमा है का डेटा सी0एस0सी0 ई-गवर्नेंस मुख्यालय, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार उपलब्ध कराये गये डेटा के आधार पर सी0एस0सी0 ई-गवर्नेंस द्वारा पात्र निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत कर पंजीयन कार्ड तथा पंजीयन विवरण-पत्र की प्रति विकास खण्डवार उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में उपलब्ध करायी जायेगी। बोर्ड द्वारा उक्त पंजीयन कार्ड तथा पंजीयन विवरण-पत्र क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराये जायेगें। क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त पंजीयन कार्ड एवं पंजीयन विवरण पत्र के सापेक्ष संबंधित श्रमिकों को विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रेषित कर कार्यालय बुलाया जायेगा और कार्यालय में श्रमिकों को पंजीयन कार्ड उनकी प्राप्ति पर हस्ताक्षर लेते हुए प्राप्त करा दिये जायेगें तथा पंजीयन विवरण प्रपत्रों को नियमानुसार श्रमिकों से भरावाकर उनके हस्ताक्षर लेते हुए विवरण प्रपत्रों को स्थानीय भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय को प्राप्त कराया जायेगा। अगली किस्त का भुगतान बोर्ड द्वारा तभी किया जायेगा जब क्षेत्रीय कार्यालय से यह आख्या प्राप्त हो जाय कि श्रमिकों को कार्ड हस्तगत करा दिया गया है तथा उनके विवरण पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारतीय जीवन बीमा निगम को उपलब्ध करा दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त पंजीयन कार्डो के विवरण के संबंध में यथावश्यक समय-समय पर श्रमायुक्त, उ0प्र0 एवं बोर्ड स्तर पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3- **<u>भुगतान प्रक्रिया-</u>**

सी0एस0सी0 ई-गवर्नेंस द्वारा उपलब्ध कराये गये नामांकन कार्ड के आधार पर श्रमिकों के अशंदान की प्रथम किस्त का भुगतान सीधे बोर्ड द्वारा सी0एस0सी0 ई-गवर्नेंस मुख्यालय, लखनऊ को किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत अगली किस्त का भुगतान श्रमिकों के खाते में auto debit के माध्यम से किया जायेगा तथा इस हेतु बोर्ड द्वारा श्रमिकों के खाते में अशंदान की किस्त की रकम प्रत्येक माह/त्रैमासिक/वार्षिक (समय-समय पर यथा निर्देशित) रूप से स्थानान्तरित की जायेगी। अंशदान के मासिक भुगतान हेतु श्रमिक के खाते को बोर्ड के खाते से लिन्क कर दिया जायेगा और श्रमिक के बोर्ड का सदस्य बन रहने तक मासिक अंशदान की धनराशि श्रमिक के बैंक खाते में नियमित रूप से auto debit के माध्यम से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थानान्तरित होती रहेगी। यदि किसी समय संबंधित श्रमिक बोर्ड का पात्र श्रमिक नहीं रह जाता है तो उसके खाते में auto debit के माध्यम से स्थानान्तरित होने वाली धनराशि बंद कर दी जायेगी। उक्त के उपरान्त भी यदि संबंधित श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) का सदस्य बना रहना चाहता है तो उसका अंशदान स्वयं उसके द्वारा वहन किया जायेगा, किन्तु यदि श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजन (PMSYM) से बाहर आना चाहता है तो यह योजना के नियमों के अनुसार अपने हिस्से के अंशदान से संबंधित जमा धनराशि ब्याज सहित प्राप्त कर सकता है और उक्त धनराशि पर बोर्ड का कोई क्लेम नहीं होगा। लाभार्थी के खाते से मासिक अंशदान भुगतान होने की पुष्टि के संबंध में तंत्र विकसित किया जायेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त 40 वर्ष से अधिक आयु के निर्माण श्रमिकों के संबंध में ''महात्मा गांधी पेंशन योजना'' पूर्ववत लागू रहेगी।

2- सचिव, बोर्ड द्वारा महात्मा गांधी पेंशन योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (**PMSYM)** से अच्छादित करने हेतु योजना के पात्रता, पंजीयन प्रक्रिया तथा भुगतान प्रक्रिया में संशोधन विषयक उपरोक्त प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है कि इस संदर्भ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 एवं संगत नियमावली-2009 का अनुपालन पात्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के हित में सुनिश्चित किया जायेगा तथा योजना के संचालन में शासन स्तर से कोई वित्तीय/आर्थिक मदद नही दी जायेगी।

3- उक्तानुसार सचिव, बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये **''महात्मा गांधी पेंशन योजना'' के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों को ''प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना'' (PMSYM)** से आच्छादित करने हेतु संशोधन के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-06/2019/315(1)/36-2-2019, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।

2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजीज अहमद

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।